

निर्माण कामगार के रूप में किये गये कार्य के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी निवासी
ने निर्माण कामगार के रूप में एक वर्ष की अवधि में कुल दिनों तक कार्य किया है
जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्र० सं० | निर्माण कार्य स्थल का पता | कार्य प्रारम्भ की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि | नियोजक/ठेकेदार का नाम पता व फोन नं० |
|----------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

स्थान:-

दिनांक:-

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

नाम :

पद :

फोन नं०:

(नियोजक अथवा ठेकेदार/पंचायत सचिव/ग्राम सचिव/कानूनगो व पटवारी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी/तहसीलदार व नायब तहसीलदार/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सभी सरकारी विभागों/बोर्ड व निगमों के सभी उपमंडल अभियंता व कनिष्ठ अभियंता/राज्य की नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के सभी सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता में से किसी एक द्वारा प्रमाणित)